छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक 17 मार्च, 2006

एफ 2–11/2006/1/6 :: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 005) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ सूचना का अधिकार (अपील) नियम, 2006 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं:– इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (कमांक 22 सन् 2005);

(ख) 'धारा' से अभिप्रेत है, उक्त अधिनियम की धारा;

(ग) 'गरीबी रेखा के नीचे' से अभिप्रेत है, कि छत्तीसगढ़ सरकार के वह नागरिक जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे का होना घोषित किया गया हो ;

(घ) 'फीस' से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत देय शुल्क;

ड.) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं , उनके वही अर्थ होगें जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं।

2/.....

3. <u>प्रथम अपील</u>–(1) यदि कोई व्यक्ति धारा–7 की उपधारा (1), अथवा उप–धारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिश्चय प्राप्त नहीं करता है या प्राप्त नहीं होता है अथवा लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसे कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे निश्चय के प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर लोक सूचना अधिकारी के, वरिष्ठ अपीलीय अधिकारी को अपील के ज्ञापन के साथ 50/– (यदि अपील आदेश डाक द्वारा चाही गई हो तो रू. 75) का शुल्क नगद या नान ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत कर सकेगा। परन्तु यह कि ऐसा

अपीलीय अधिकारी तीस दिवस की कालावधि के पश्चात भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से अपील समयावधि में प्रस्तुत करने में विफल रहा है ।

(2) अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, जन सूचना अधिकारी का नाम तथा पदनाम , जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने अथवा अपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का अथवा समयावधि में जानकारी न देने का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा ।

अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकारी संबंधित जन सूचना अधिकारी को कम से कम 7 दिवस का नोटिस देगा।

3/.....

(4) उपनियम (1) के अंतर्गत अपील प्राप्त किए जाने से तीस दिवस के भीतर या ऐसी बढ़ाई गयी कालावधि के भीतर जो अपील फाइल करने की तारीख से कुल मिलाकर पैंतालिस दिवस से अधिक नहीं हो, यथास्थिति लिखितमें कारणों को अभिलिखित करते हुए निपटाई जाएगी।

(5) अपील में पारित आदेश की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय की जाएगी।

द्वितीय अपील–(1) इस नियम के उप नियम(3) के अधीन विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को उस तारीख से नब्बे दिवस के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी जिस तारीख को विनिश्चय पारित हो गया अथवा जब विनिश्चय वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है अथवा उस तारीख से जिस तारीख को प्रथम अपील प्रस्तुति को पैतालिस दिवस हो गये ।

परन्तु यह कि राज्य सूचना आयोग नब्बे दिवस की कालावधि के बीतने के पश्चात भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से विफल रहा है।

(2) अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता प्रथम अपीलीय अधिकारी जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की जा रही हो उसका नाम तथा पदनाम और जिस आदेश के विरूद्ध अपील की जा रही हो उसकी सत्यापित प्रति देना होगा।

(3) राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील के ज्ञापन के साथ रूपये 100/– (रूपये सौ) (यदि आदेश की प्रति डाक से चाही गई हो तो रू. 125) की फीस नगद चालान, मनीआर्डर या नान ज्युडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा करना होगा।

(4) राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति लोक प्राधिकारी और/अथवा जन सूचना अधिकारी और/अथवा अपीलार्थी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए अपील का निराकरण करेगा।

(5) अपील की सुनवाई हेतु सूचना आयुक्त संबंधित पक्षकारों को कम से कम सात दिवस का नोटिस देगा ।

(6) राज्य सूचना आयुक्त का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

राज्य सूचना आयुक्त के विनिश्चय की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय की जाएगी परन्तु यदि अपीलार्थी आदेश की प्रति डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो अपीलार्थी से डाक शुल्क प्राप्त कर तीस दिवस के अंदर भेजी जाएगी।

3. नियम 3 एवं 4 के अंतर्गत देय फीस ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे है से प्रभारित नहीं की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(नन्द कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग